राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड
64वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2018
कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड की 64वीं बैठक दिनांक 27 फरवरी, 2018 को श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में श्री उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन, श्रीमती राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन, श्रीमती मनीषा पंवार, प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन एवं शासकीय विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के उच्चाधिकारियों तथा समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधकों / एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया गया।

इस बैठक में कार्यसूची के अनुरुप निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गयी :

1. <u>बैंकों द्वारा भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करना</u> :

बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने के संदर्भ में अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन ने सदन को अवगत कराया कि संबंधित वेब एप्लीकेशन में बैंकों द्वारा दर्ज प्रभार के **Real Time Display** की व्यवस्था वर्तमान में केवल देहरादून जिले की देहरादून तहसील में ही लागू है तथा एन.आई.सी. के द्वारा यह व्यवस्था पूरे राज्य में लागू करने हेतु अभी दो माह का समय लगना बताया गया है यद्यपि बैंकों के स्तर पर इस विषय में पूर्ण तैयारी है। इस क्रम में मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन को निर्देशित किया गया कि वे एन.आई.सी. के सहयोग से उक्त व्यवस्था को अगली राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक से पूर्व राज्य की सभी तहसीलों में लागू करवाना सुनिश्चित करें।

2. <u>वसूली प्रमाण पत्र की ऑन-लाइन फाईलिंग</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन को निर्देशित किया गया कि बैंकों द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों की ऑन-लाइन फाईलिंग से संबंधित स्पष्ट शासनादेश यथाशीध्र जारी करने की व्यवस्था करें।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार ने बैंकों द्वारा जारी वसूली प्रमाण पत्रों के विरुद्ध कम वसूली प्रतिशत (4.36%) पर चिंता व्यक्त की। इस पर प्रमुख सचिव (वित), उत्तराखंड शासन द्वारा अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन को निर्देशित किया गया कि राजस्व विभाग के स्तर से इसकी निगरानी की जाए तथा वे वसूली में तेजी लाने हेतु सभी जिलाधिकारियों को समुचित निर्देश जारी करें। अपर सचिव (राजस्व), उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में वसूली में तेजी लाने हेतु सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

3. <u>आरसेटी</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि विभिन्न बैंकों की शाखाओं में आरसेटी संस्थानों द्वारा स्वयं के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के प्रेषित 258 ऋण आवेदन पत्र निस्तारण हेतु लम्बित हैं, जिनकी बैंकवार / शाखावार सूची संबंधित बैंक नियंत्रकों को ई-मेल द्वारा प्रेषित कर समय पर निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया है। इस पर मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक नियंत्रकों को कहा कि वे आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों के लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर दिनांक **10 मार्च, 2018** तक करवाना सुनिश्चित करें।

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा आरसेटी संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित अभ्यर्थियों, जिनके द्वारा बैंक से ऋण ले कर स्वरोजगार स्थापित किया गया है, की निगरानी **(Follow Up)** के संदर्भ में पूछे जाने पर स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि बैंकों द्वारा वित्तपोषित अभ्यर्थियों का आरसेटी संस्थानों द्वारा 2 साल तक लगातार Follow Up किया जाता है।

आरसेटी संस्थानों द्वारा बी.पी.एल. प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण पर व्यय की गयी राशि की प्रतिपूर्ति लम्बित होने के संदर्भ में प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा शीघ्र ही भुगतान का आश्वासन दिया गया।

4. <u>वार्षिक ऋण योजना</u> :

मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन ने दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक बैंकों द्वारा कुल वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत 66% की प्राप्ति पर संतोष व्यक्त किया। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष 53% की प्राप्ति को रेखांकित करते हुए बैंकों को निर्देशित किया कि वे वित्तीय वर्ष की शेष बची अवधि में कृषि क्षेत्र के अंतर्गत ऋण वितरण को प्रमुखता प्रदान करते हुए उन्हें आबंटित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें। उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, यूको बैंक तथा आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को विशेष रुप से निर्देशित किया गया कि वे सदन में दिए गए आश्वासन के अनुरुप वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।

5. <u>ऋण-जमा अनुपात</u> :

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राज्य का ऋण-जमा अनुपात दिसम्बर, 2017 त्रैमास में 57% होने, जिसमें सितम्बर, 2017 त्रैमास के सापेक्ष वृद्धि दर्ज की गयी है, पर संतोष व्यक्त करते हुए बैंकों से अपेक्षा की कि वे इसी प्रकार अधिकाधिक ऋण वितरण का सार्थक प्रयास करते हुए ऋण-जमा अनुपात को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनके द्वारा बैंक नियंत्रकों से यह भी अपेक्षा की गयी कि वे अपनी शाखाओं में लम्बित ऋण ओवदन पत्रों को दिनांक 10 मार्च, 2018 तक निस्तारित करवाकर स्वीकृत आवेदन पत्रों में ऋण वितरण की कार्यवाही पूर्ण कर लेंगे, जिससे ऋण-जमा अनुपात में अपेक्षित प्रगति दर्ज हो सके।

6. <u>ब्रॉड बैण्ड कनेक्टिविटी - वी.-सैट</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड सरकार द्वारा कनेक्टिविटी रहित 265 एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापना के लम्बित होने पर संबंधित बैंकों विशेष रुप से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, उत्तराखंड ग्रामीण बैंक एवं यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया को निर्देशित किया गया कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। बैंकों द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि वी.-सैट लगाने में विलम्ब का मुख्य कारण दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बी.सी. / सी.एस.पी. नहीं मिल पाना है। इस क्रम में प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि शासन स्तर से राज्य के लगभग 9000 सरकारी राशन विक्रेताओं को सी.एस.सी. **(Common Service Centre)** के रुप में नियुक्त करने हेतु फैसला लिया गया है तथा बैंक भी इन सरकारी राशन विक्रेताओं को बी.सी. / सी.एस.पी. नियुक्त कर इस समस्या का निदान कर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रतिनिधि द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि उनके विभाग द्वारा राज्य में लगभग 6000 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। यदि बैंक ऐसे एस.एस.ए. की सूची, जहाँ उन्हें बी.सी. / सी.एस.पी. मिलने में कठिनाई आ रही है, उनके विभाग को उपलब्ध कराएं तो इन स्वयं सहायता समूहों के शिक्षित सदस्यों को बी.सी. / सी.एस.पी. के रुप में नियुक्त कराने में उनका विभाग मदद कर सकता हैं। इस क्रम में संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे इस विषय में जिलेवार / ब्लाकवार सूची सलाहकार, वित्त (बैंकिंग) के माध्यम से उत्तराखंड शासन के साथ राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी उपलब्ध कराएं। ऐसी ही एक सूची वे़ उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को भी उनके द्वारा किए गए अनुरोध के अनुक्रम में उपलब्ध कराएं।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा बैंकों, जिन्होंने वी.-सैट की स्थापना में हुए खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड से पूर्व में सहमति प्राप्त की थी, से कहा कि वे इस मद में प्रतिपूर्ति हेतु अपना दावा नाबार्ड को दिनांक 31 मार्च, 2018 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड से अनुरोध किया गया कि उनके बैंक द्वारा उत्तराखंड राज्य में वी.-सैट तथा उसकी स्थापना में होने वाले खर्चे की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व सहमति के लिए प्रस्ताव नाबार्ड को प्रस्तुत किया गया है, अत: वी.-सैट लगाने एवं प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की उक्त तिथि को आगे बढाने पर सकारात्मक रुप से विचार किया जाए।

7. <u>प्रधानमंत्री जन-धन योजना</u> :

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंकों को खण्ड विकास कार्यालय / ग्राम प्रधान से संपर्क कर समस्त बैंक खातों में आधार सत्यापन के कार्य को निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने हेतु कहा गया। प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे खण्ड स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठकों में संबंधित उप जिलाधिकारी को बैठक की अध्यक्षता हेतु आमंत्रित करें, जिसमें बैंक खातों में आधार सत्यापन को एजेण्डा बिंदु के रुप में रखकर चर्चा करते हुए इस कार्य में उनका भी सहयोग एवं मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

8. <u>उत्तराखंड राज्य में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता हेतु मूलभूत ढाँचा (बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस) रहित ग्रामों पर चर्चा (NIC Survey)</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा एन.आई.सी. दिल्ली से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में प्राप्त 484 **inadequately covered or uncovered by financial infrastructure** ग्रामों में परीक्षण के उपरांत 423 ग्रामों के 5 किलोमीटर के परिधि में बी.सी. / बैंक शाखा / पोस्ट ऑफिस के माध्यम से वित्तीय सेवाओं हेतु मूलभूत ढाँचा की उपलब्धता एवं मात्र 61 ग्रामों में अनुपलब्धता होना सूचित किया गया है। इस पर मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे ग्रामों को सेवा क्षेत्र के आधार पर शाखावार / बैंकवार आबंटित कर, इसकी सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसी क्रम में माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य सरकार राज्य के सभी 670 न्याय पंचायतों का विकास ऐसे ग्रोथ सेन्टर के रुप में करना चाहती है, जहाँ बाजार, अस्पताल, शिक्षण संस्थाओं के साथ वित्तीय लेन-देन हेतु आधारभूत वित्तीय ढाँचे की भी उपलब्धता हो। उन्होंने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्देशित किया कि वे अग्रणी जिला प्रबंधकों से परीक्षण के उपरांत प्राप्त उक्त 484 ग्रामों की सूची प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास), उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराएं, जिससे कि उनके स्तर से सभी 670 न्याय पंचायतों के साथ तुलना कर वहाँ आधारभूत वित्तीय ढाँचे की उपलब्धता का परीक्षण किया जा सके।

9. <u>सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएं</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड शासन द्वारा सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के अंतर्गत दर्ज की गयी प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया कि उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के सदर्भ में परिवार की महिला प्रमुख के लिए वार्षिक बीमा प्रीमियम के भुगतान को वहन करने पर विचार किया जा रहा है। इसी क्रम में प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा स्टेट डायरेक्टर, आरसेटी को निर्देशित किया गया कि आरसेटी द्वारा चलाए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षार्थियों को इन सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाओं के संदर्भ में जागरुक कर, अधिकाधिक व्यक्तियों को योजना के दायरे में लाने हेतु प्रोत्साहित किया जाए।

10. <u>बैंकों के आधार पंजीकरण केंद्र के माध्यम से पंजीकरण / सत्यापन एवं आधार सीडिंग</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड शासन द्वारा बैंक शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र की स्थापना एवं संचालन हेतु चयनित 230 शाखाओं में से मात्र 64 के सक्रिय रुप से कार्य करने को गम्भीरता से लिया गया, जिस पर यू.आई.डी.ए.आई. के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि नवीन सूचनाओं के अनुरुप 78 बैंक शाखाओं में आधार पंजीकरण केंद्र सक्रिय रुप से कार्य कर रहे हैं तथा 22 शाखाओं में इनकी स्थापना हो चुकी है, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से अभी कार्य शुरु नहीं हो पाया है। बैंक

प्रतिनिधियों द्वारा माननीय वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाया गया कि इस कार्य में चयनित कुछ अधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण यू.आई.डी.ए.आई. के स्तर से लम्बित होने के कारण भी इस कार्य में विलम्ब हो रहा है। इस पर यू.आई.डी.ए.आई. के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि बैंक ऐसे अधिकारियों / कर्मचारियों की सूची उन्हें उपलब्ध करायें ताकि उनके प्रशिक्षण का कार्य पूरा किया जा सके। माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड शासन द्वारा बैक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक पूरा करना सुनिश्चित करें।

11. <u>वित्तीय साक्षरता</u> :

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड ने कहा कि नाबार्ड द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड के माध्यम से बैंकों को इस वित्तीय वर्ष हेतु VLP **(Village Level Program)** के लक्ष्य आबंटित किए गये थे। इन VLP को आयोजित करने हेतु नाबार्ड द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है, परंतु बैंकों से इस संदर्भ में प्रतिपूर्ति हेतु नाबार्ड को अभी तक कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होनें बैंकों से अनुरोध किया कि वे आयोजित VLP कार्यक्रमों से संबंधित प्रतिपूर्ति दावा नाबार्ड को प्रस्तुत करें।

12. <u>किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करना</u> :

माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत डेयरी, फलोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर आदि के अंतर्गत अधिकाधिक ऋण वितरित करें। इसी विषय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को निर्देशित किया गया कि अगली बैठक में कृषि क्षेत्र की अनुषंगी गतिविधियों **(Allied Activities)** के अंतर्गत बैंकों द्वारा वितरित किए गए ऋणों का विवरण भी सदन के सम्मुख प्रस्तुत करें।

मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा कृषकों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने पर चर्चा करते हुए कृषि क्षेत्र के अंतर्गत Capital Formation को भी बढ़ावा देने हेतु बैंकों से यह अपेक्षा की कि वे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पादों हेतु गोदाम आदि के लिए ऋण प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। इसी क्रम में उप महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि नाबार्ड द्वारा **52 FPO (Farmer Progressive Organization)** गठित किए गए हैं, जिनमें से कई विगत तीन वर्षों से कार्य कर रहे हैं एवं बैंक ऋण हेतु पात्रता रखते हैं। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि यदि वे ऋण पात्रता प्राप्त कर चुके एफ.पी.ओ. को ऋण प्रदान करते हैं तो यह कदम किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक सिद्ध होगा।

सहायक महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु नाबार्ड द्वारा उत्तराखंड राज्य के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु एरिया डेवलपमेन्ट स्कीम के तहत जिलेवार डेयरी, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन के अंतर्गत **₹ 92.79 करोड़** के ऋण वितरण की

कार्ययोजना तैयार की गयी है। इसके अंतर्गत जिला स्तर पर संबंधित रेखीय विभागों द्वारा इच्छुक अभ्यर्थियों के ऋण आवेदन पत्र एकत्र कर बैंक शाखाओं को प्रेषित किए जाएंगे, जिसकी सूचना अग्रणी जिला प्रबंधक के साथ संबंधित बैंक नियंत्रक को भी प्रेषित की जाए। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड से अनुरोध किया गया कि वे इसे अग्रणी जिला प्रबंधकों को उपलब्ध कराते हुए निर्देशित करें कि वे जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड के सहयोग से अपने जिले की बैंक शाखाओं को लक्ष्य आबंटित कर त्रैमासिक आधार पर आयोजित होने वाली डी.एल.आर.सी. की बैठकों में प्रगति की समीक्षा करना सुनिश्चित करें।

13. <u>फसल बीमा योजना</u> :

क्षेत्रीय प्रबंधक, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि. द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2017 तथा रिस्ट्रक्चर मौसम आधारित फसल बीमा योजना रबी 2017 के अंतर्गत लगभग 74,500 कृषकों की फसलों को बीमा से आच्छादित किया गया है। इनमें से लगभग 52,000 बीमित कृषकों की सूचना भारत सरकार के फार्मर पोर्टल **(www.agri-insurance.gov.in)** पर **upload** कर दी गयी है तथा पोर्टल बंद हो जाने के कारण शेष बीमित कृषकों का विवरण पोर्टल पर अपलोड होना अभी शेष है।

उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2017 तथा रिस्ट्रक्चर मौसम आधारित फसल बीमा योजना खरीफ 2017 के अंतर्गत लगभग 1,40,000 कृषकों की फसल आच्छादित की गयी थी, जिनमें से लगभग 74,000 सहकारी बैंक के थे। उक्त सीजन हेतु कुल बीमित कृषकों में से लगभग 15,000 कृषकों की सूचना ही भारत सरकार के फार्मर पोर्टल पर अपलोड हो पायी थी।

फार्मर पोर्टल बंद होने की स्थिति को देखते हुए सभी संबंधित बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे अपने बैंक के खरीफ 2017 एवं रबी 2017 सीजन के अंतर्गत ऐसे बीमित कृषक जिनका डाटा पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है, का अलग-अलग विवरण ऑफ-लाइन मोड में तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालय, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इण्डिया लि., देहरादून को सॉफ्ट कॉपी में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिसे कि उनके स्तर से इस विषय को भारत सरकार के संज्ञान में लाते हुए पोर्टल पर अपलोड कराने हेतु प्रयास किया जाए ताकि किसानों को बीमा क्लेम प्राप्त होने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

1<u>4. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन</u> :

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत अद्यतन सूचना के अनुरुप बैंक शाखाओं को प्रेषित लगभग 2400 ऋण आवेदन पत्रों में से 1134 में ऋण स्वीकृत / वितरित किए गए हैं तथा 1392 ऋण आवेदन पत्र, जिनमें से मुख्य रुप से 488 उत्तराखंड ग्रामीण बैंक, 198 भारतीय स्टेट बैंक तथा 191 पंजाब नेशनल बैंक की शाखाओं में,

निस्तारण हेतु लम्बित हैं। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देशित किया कि लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 10 मार्च, 2018 तक करना सुनिश्चित करें।
मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को प्रदान किए गए ऋणों में एन.पी.ए. होने की न्यूनतम संभावना को देखते हुए बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे योजनांतर्गत प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों में सकारात्मक रुप से ऋण प्रदान करें।

उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की प्रतिनिधि द्वारा बैंकों से आग्रह किया गया कि वे योजनांतर्गत ऋण प्राप्त स्वयं सहायता समूहों का बचत खाता खोलने से लेकर समूह को ऋण वितरित करने तक की सूचना **SHG Bank Linkage Portal** पर अपलोड करना सुनिश्चित करें, जिससे योजनातर्गत देय ब्याज अनुदान राशि संबंधित समूह को प्राप्त हो सके।

इसी क्रम में प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में ऋण प्राप्त ऐसे स्वयं सहायता समूह, जिनके खाते एन.पी.ए. हो गए हैं तथा जो ऋण चुकता करने के उपरांत पुन: बैंक से ऋण प्राप्त कर कार्य करना चाहते हैं, उनके एन.पी.ए. खातों के ब्याज का भुगतान शासन स्तर से किए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बैंकों को निर्देशित किया कि वे एन.पी.ए. स्वयं सहायता समूहों की सूची जिला स्तर पर संबंधित विभाग को उपलब्ध कराएं, जो अपने स्तर से शासन को विस्तृत रिपोर्ट देंगे। बैंक इसकी एक सूची राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को भी उपलब्ध कराएं।

मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड द्वारा अवगत कराया गया कि स्वयं सहायता समूहों के डिजीटाइजेशन हेतु ई.-शक्ति प्राजेक्ट वर्तमान में पायलेट आधार पर देहरादून जिले में लागू किया गया है, जिसमें अभी तक 1074 स्वयं सहायता समूहों का डिजीटाइजेशन हो चुका है, जिसमें एन.आर.एल.एम. के 200 स्वयं सहायता समूहों में से 176 सम्मिलित हैं तथा शेष 24 का डिजीटाइजेशन होना अभी लम्बित है। उनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि नाबार्ड द्वारा सभी बैंकों को पूर्व में ही ई.-शक्ति पोर्टल का पासवर्ड इस आशय से उपलब्ध कराया गया है कि वे पोर्टल के माध्यम से देहरादून जिले में ऋण की पात्रता रखने वाले स्वयं सहायता समूहों की जानकारी प्राप्त कर उन्हें बैंक नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना उक्त पोर्टल पर भी अपलोड करेंगे।

15. <u>डेयरी उद्यमिता विकास योजना</u> :

माननीय वित्त मंत्री, उत्तराखंड द्वारा योजनांतर्गत प्रगति पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा नाबार्ड से आग्रह किया कि वे योजनातंर्गत लम्बित देय अनुदान राशि के भुगतान हेतु समुचित कार्यवाही करें।

16. <u>राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)</u> :

संयुक्त निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि अद्यतन प्राप्त सूचना के अनुरुप योजनांतर्गत बैंक शाखाओं को प्रेषित 2183 ऋण आवेदन पत्रों में से

877 आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृत / वितरित किए गए हैं तथा 851 आवेदन पत्र अभी भी निस्तारण हेतु बैंक शाखाओं में लम्बित हैं, जिनमें से मुख्यत: पंजाब नेशनल बैंक में 165 तथा भारतीय स्टेट बैंक में 164 हैं। उन्होंने बैंकों से आग्रह किया कि वे योजनांतर्गत अपनी शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 10 मार्च, 2018 तक करना सुनिश्चित करें।

17. <u>प्रधानमंत्री आवास योजना - (Credit Link Subsidy Scheme)</u> :

संयुक्त निदेशक, शहरी विकास विभाग, उत्तराखंड शासन द्वारा सदन को अवगत कराया गया कि योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1500 के सापेक्ष 2149 ऋण आवेदन पत्र बैंक शाखाओं को प्रेषित किए गए हैं, जिनमें से 695 में बैंकों द्वारा ऋण स्वीकृत / वितरित किए गए हैं एवं 1449 आवेदन पत्र अभी भी निस्तारण हेतु बैंक शाखाओं में लम्बित हैं, जिनमें से मुख्यत: भारतीय स्टेट बैंक में 410 तथा पंजाब नेशनल बैंक में 240 हैं। मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन द्वारा योजनांतर्गत धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते संबंधित विभाग एवं बैंकों को निर्देशित किया कि वे आपसी सामान्जस्य से अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने का प्रयास करें। सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा कहा गया कि वे लम्बित ऋण आवेदन पत्रों की वस्तुस्थिति के लिए संबंधित विभाग से अलग से एक मीटिंग कर लेंगे।

18. <u>स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान</u> :

प्रमुख सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन द्वारा बैंक नियंत्रकों को निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं में लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 10 मार्च, 2018 तक करवाना सुनिश्चित करें।

19. <u>एम.एस.एम.ई. ऋण</u> :

प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा एम.एस.एम.ई. सेक्टर में बैंकों द्वारा दिसम्बर, 2017 त्रैमास तक दर्ज की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया। दिनांक 16 से 30 जनवरी, 2018 तक आयोजित एम.एस.एम.ई. पखवाड़ा के दौरान बैंकों द्वारा 2587 इकाइयों को ₹ 134.75 करोड़ के ऋण स्वीकृत / वितरित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उनके द्वारा अपेक्षा व्यक्त की गयी कि रोजगार प्राप्ति में एम.एस.एम..ई. सेक्टर की भूमिका को देखते हुए बैंक इसी प्रकार पात्र एवं इच्छुक उद्यमियों को समय से ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

20. <u>प्रधानमंत्री मुद्रा योजना</u> :

महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिसम्बर, 2017 त्रैमास की समाप्ति तक योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष मात्र 51% की प्राप्ति के परिपेक्ष्य में बैंकों से अपेक्षा की गयी कि वे अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों को योजनांतर्गत ऋण उपलब्ध कराते हुए निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

21. <u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन प्रोग्राम (PMEGP)</u> :

अपर निदेशक, एम.एस.एम.ई. द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे लम्बित आवेदन पत्रों को प्राथमिकता के आधार पर दिनांक 10 मार्च, 2018 तक निस्तारित करना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी अनुरोध किया कि वे स्वीकृत ऋण आवेदन पत्रों में यथाशीघ्र ऋण वितरण की कार्यवाही करें तथा ऋण वितरण के तुरंत बाद मार्जिन मनी दावा पी.एम.ई.जी.पी. पोर्टल पर दाखिल करना भी सुनिश्चित करें, जिससे कि राज्य को आवंटित मार्जिन मनी का समय पर उपभोग किया जा सके। यह भी अवगत कराया कि समय पर मार्जिन मनी दावा अपलोड न करने से बाद में मार्जिन मनी क्लेम की प्राप्ति में समस्या हो सकती है। मुख्य सचिव, उत्तराखड शासन द्वारा बैंकों तथा संबंधित विभागों से अपेक्षा की गयी कि वे आपस में समन्वय स्थापित करते हुए विगत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी योजनांतर्गत मार्जिन मनी उपभोग हेतु पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे।

22. <u>वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना</u> :

सहायक महाप्रबंधक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा बैंकों से अनुरोध किया गया कि वे अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं में योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 10 मार्च, 2018 तक अनिवार्यत: करवाना सुनिश्चित करें। उनके द्वारा सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों को निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण की निगरानी करेंगे एवं भविष्य में योजनांतर्गत प्रेषित / स्वीकृत / वितरित / लम्बित ऋण आवेदन पत्रों का पूर्ण विवरण स्वयं एवं जिला पर्यटन अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर के साथ त्रैमास समाप्ति के 10 दिनों के अंदर राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

23. <u>हथकरघा बुनकरों हेतु मुद्रा योजना</u> :

योजनांतर्गत वार्षिक लक्ष्य 1750 के सापेक्ष बैंक शाखाओं को मात्र 75 ऋण आवेदन पत्र प्रेषित किए जाने पर संबंधित विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चूँकि अधिकांश बुनकरों द्वारा पूर्व में ही बैंकों से ऋण लिया गया है, जिसके कारण नए ऋण आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं।

24. <u>स्टैण्ड अप इण्डिया</u> :

उपरोक्त योजनांतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष बैंकों द्वारा वांछित प्रगति दर्ज न किए जाने पर उन्हें निर्देशित किया गया कि वे योजनांतर्गत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को ऋण प्रदान करना सुनिश्चित करें।

25. <u>ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण एवं निस्तारण</u> :

बैठक में समस्त बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण दिनांक 10 मार्च, 2018 तक करना सुनिश्चित करें, जिससे कि समय रहते वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव हो सके। साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक सभी लम्बित ऋण आवेदन पत्रों के निस्तारण की निगरानी करेंगे।

श्री प्रकाश पंत, माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तराखंड

माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा अपने संबोधन में बैंकों से केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं यथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि को सफल बनाने हेतु सहयोग की अपेक्षा की गयी। उन्होंने बैंकों से यह भी अपेक्षा की कि वे उत्तराखंड राज्य में वित्तीय सुविधाओं की उपलब्धता हेतु बैंकिंग ढाँचे को न्याय पंचायत के स्तर तक पहुँचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएंगे। साथ ही शासन स्तर पर बैंकिंग संबंधित लम्बित मामले यथा भूमि अभिलेखों पर कृषि ऋणों के विरुद्ध ऑन-लाइन प्रभार अंकित करने की व्यवस्था संपूर्ण राज्य में लागू करना, ऑन-लाइन आर.सी. फाईलिंग से संबंधित शासनादेश जारी करना आदि के संबंध में अपेक्षा की कि इनका निस्तारण आगामी बैठक से पूर्व संबंधित विभागों द्वारा कर दिया जाएगा।

बैठक के अंत में महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक ने अध्यक्ष महोदय के साथ उपस्थित राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सहयोगी बैंकों, बीमा कंपनियों से आये अधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता के लिये तथा मीडिया बंधुओं को बैठक की कार्यवाही की कवरेज करने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सभी बैंक एवं रेखीय विभाग आपस में सामंजस्य स्थापित कर कार्य करेंगे, जिससे राज्य की आर्थिकी में गुणात्मक वृद्धि दर्ज की जा सके।

****